2025:CGHC:41968–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 16–06–2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक: 20–08–2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 369/2019

राजेश चक्रधारी, पिता शंकर लाल चक्रधारी ,आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– ग्राम भटगांव, पोस्ट ऑफिस एवं थाना – अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 739/2019

मिथलेश कुमार पिता श्री सियाराम तारक, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी– ग्राम–उलबा, थाना अभनपुर, जिला रायपुर, सिविल व राजस्व जिला रायपुर (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य,द्वाराः थाना – अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष शर्मा, श्री अंशु रात्रे एवं श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सीएवी निर्णय

द्वारा न्यायमूर्ति रजनी दुबे

चूँकि ये दोनों अपीलें, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला रायपुर द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 215/2017 में दिनांक 7.2.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से उद्भूत हैं, इसलिए इनका इस एक ही निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है। दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/34, 366/34, 342/34, 376 घ तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "अधिनियम 2012") की धारा 6 के अधीन दोषसिद्ध किए गए हैं, और अधिनियम 2012 की धारा 42 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, उन्हें निम्नानुसार दंडादेश दिया गया है:

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/34 के अधीन	दो वर्ष का सश्रम कारावास, रु. 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366/34 के अधीन	तीन वर्ष का सश्रम कारावास, रु. 1,000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342/34 के अधीन	छह माह का सश्रम कारावास, रु. 100/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पंद्रह दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 घ के अधीन	बीस वर्ष का सश्रम कारावास, रु. 25000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 26.05.2017 को अभियोक्त्री बस से अपनी बुआ (पिता की बहन) के घर उलबा जा रही थी। जब वह उलबा के मोड़ पर लगभग 3 बजे पहुँची, तो अभियुक्त/अपीलार्थीगण एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर उलबा से आए और उससे उसके आने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने उसे बताया कि वे उसकी बुआ का घर जानते हैं और उसे वहाँ छोड़ देंगे। तत्पश्चात वह उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। यद्यपि, अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसे उसके गंतव्य तक ले जाने के बजाय, उसे उलबा और राखी की ओर घुमाते रहे। लगभग 7 बजे वे उसे उलबा ईंट–भट्ठे पर स्थित एक खपरैल घर के एक कमरे में ले गए, कमरे को अंदर से बंद कर दिया, उसके हाथ–पैर दुपट्टे से बांध दिए और यदि वह चिल्लाई या भागने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकी देकर, बारी–बारी से उसके साथ बलात्संग किया और लगभग तीन घंटे बाद वहाँ से भाग गए। उसने किसी तरह स्वयं को खोला और घटना के बारे में अपनी बुआ, जीजा (बहन के पति) और अपनी बहन को बताया। उसने उन्हें अभियुक्तों के शारीरिक विशेषताओं और वाहन क्रमांक 8137 के बारे में भी बताया। दिनांक 27.05.2017 को गाँव की बैठक में उसने दोनों अभियुक्त/अपीलार्थीगण की पहचान की। उसकी रिपोर्ट पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 342, 506, 376 घ तथा अधिनियम 2012 की धारा

5 व 6 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया और सामान्य विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, उनके विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 घ, 506 भाग–II, 342 तथा अधिनियम 2012 की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किए, जिसे उनके द्वारा अस्वीकार किया गया और उन्होंने विचारण की प्रार्थना की। अपने प्रकरण को साबित करने हेतु अभियोजन ने कुल 13 साक्षियों की परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में उनके विरुद्ध प्रतीत सभी अभियोगात्मक परिस्थितियों का खंडन किया, निर्दोष होने और झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि, उनके द्वारा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया। अतः ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दाण्डिक अपील क्रमांक 369/19 में अपीलार्थी राजेश चक्रधारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि आक्षेपित निर्णय स्वयं में अवैध है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत है। अभियोक्त्री और उसके रिश्तेदारों का साक्ष्य अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा संपुष्ट नहीं है। इस अपीलार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है कि वह अभियोक्त्री को ले गया और उसके साथ बलात्संग किया। अभियोक्त्री ने अपने न्यायालयिक कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग नहीं किया। वास्तव में, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य की विवेचना करने में असफल रहा है कि उसने किसी भी समय शोर नहीं मचाया और यह आचरण बलात्संग या अपहरण की अभियोक्त्री के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में कई विरोधाभाषा व लोप हैं जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा कर दिया गया है। अ.सा.–6 डॉ. सुमित्रा उराँव के चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं थी और हाल ही में हुए लैंगिक संभोग का कोई संकेत नहीं था। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है। अभियोजन द्वारा कोई पहचान परीक्षण परेड आयोजित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण साक्षी अजय यादव (जीजा), रक़मनी यादव (बहन) और कुंती यादव (बुआ) जिनसे अभियोक्त्री ने पहले घटना बताई थी, को अभियोजन द्वारा उन कारणों से जिनकी जानकारी केवल उन्हें ही है, परीक्षित नहीं कराया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध कथित अपराधों को आकृष्ट करने के लिए मूल घटक पूरी तरह से गायब हैं।

6. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, विद्यालय पंजी में अभियोक्त्री की जन्म तिथि से संबंधित सूचनादाता और प्रविष्टिकर्ता का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है। इस प्रकार, यह विधि के अनुसार साबित नहीं हुआ है कि वह घटना की तारीख को अवयस्क थी। अभियोजन वर्तमान अपीलार्थी

के विरुद्ध अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिए, साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, आक्षेपित निर्णय वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध विधिक रूप से संधारणीय नहीं है और वह सभी आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, **अर्थात् राजा विरुद्ध कर्नाटक राज्य (एआईआर 2016 एससी 4930)** एवं **मानक चंद उर्फ मणि विरुद्ध हरियाणा राज्य (एआईआर 2023 एससी 5600)** का अवलंब लिया गया है।

06. दाण्डिक अपील क्रमांक 739/2019 में अपीलार्थी मिथलेश कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि अपीलार्थी मिथलेश कुमार की दोषसिद्धि के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के त्रुटिपूर्ण विवेचना पर आधारित हैं। अभियोक्त्री व अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाषा व लोप है, इस प्रकार उनके कथन अविश्वसनीय हो जाते हैं। अपीलार्थी को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है क्योंकि अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों के साथ कोई विवाद था। अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री के व्यपहरण के संबंध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सीय और एफएसएल साक्ष्य के अनुसार भी यह साबित होता है कि कथित रूप से अभियोक्त्री के साथ कोई बलपूर्वक लैंगिक संभोग नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त डीएनए रिपोर्ट जो इस बात की पुष्टि करता है कि अभियोक्त्री की योनि स्लाइड पर किसी पुरुष का डीएनए प्रोफाइल नहीं पाया गया था, किंतु अभियोजन ने जानबूझकर इस रिपोर्ट को दबा दिया और इसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं, और अभियोक्त्री के कथन में विरोधाभाष व लोप को दृष्टिगत रखते हुए वह एक विश्वसनीय साक्षी प्रतीत नहीं होती है। वह अपने न्यायालयिक कथन में स्वीकार करती है कि अभियुक्त व्यक्तियों के साथ घूमते समय उसके पास शोर मचाने या राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पुष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करने में भी असफल रहा है कि घटना की तारीख को वह अवयस्क थी। इसलिए, उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध भी अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है और इस प्रकार, वह संदेह का लाभ प्राप्त कर सभी आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस तर्क के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय के **मानक चंद उर्फ मणि विरुद्ध हरियाणा राज्य एआईआर 2023 एससी 5600** के निर्णय; और इस न्यायालय के **दाण्डिक अपील क्रमांक 967/2021** में **रामशरण सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2023(2) सीजीएलजे 425** तथा **दाण्डिक अपील क्रमांक 1035/2019** में **विनोद नट विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य** में **दिनांक 18.03.2025** के निर्णय का अवलंब लिया गया है।

07. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क किया कि अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को उचित रुप से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

08. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।

09. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 घ, 506 भाग–II, 342 तथा अधिनियम 2012 की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे, और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग–II के आरोप से दोषमुक्त करते हुए, उन्हें इस निर्णय के कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

10. सर्वप्रथम, हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.अ.सा.–1 अभियोक्त्री ने कथन किया है कि उसकी जन्म तिथि 11.11.2002 है और घटना के समय, अर्थात् दिनाँक 06.03.2017 को उसकी आयु 15 वर्ष थी। प्रति–परीक्षण के कण्डिका 8 में उसने कथन किया है कि उसने कक्षा दसवीं तक पढ़ाई की है और वह कक्षा दसवीं में फेल हो गई थी। उसे यह याद नहीं है कि उसने किस वर्ष कक्षा दसवीं की परीक्षा दी थी। कण्डिका 9 में वह स्वीकार करती है कि वह कक्षा नवमीं में भी फेल हो गई थी। कण्डिका 11 में उसने कथन किया है कि उसके द्वारा न्यायालय में बताई गई जन्म तिथि उसके विद्यालय के अंकसूची पर आधारित है।

12. अ.सा.–8 श्रीमती नंद रामटेके, शासकीय प्राथमिक शाला, फेकरी की प्रधानाध्यापिका ने कथन करती है कि पुलिस ने दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी/12) को जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/13 के अनुसार जब्त किया था। इस पंजी में, अभियोक्त्री की जन्म तिथि 11.11.2002 और प्रवेश की तिथि 01.07.2008 दर्ज है। प्रति–परीक्षण में वह स्वीकार करती है कि उक्त जन्म तिथि उनके द्वारा प्रदर्श पी/12 में दर्ज नहीं की गई थी। वह यह भी स्वीकार करती है कि पंजी में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि किसके निर्देश पर दर्ज की गई थी। फिर वह स्वेच्छा से बताती है कि इसे उसके पिता के कहने पर दर्ज किया गया था। वह पुनः स्वीकार करती है कि अभिलेख के साथ जच्चा–बच्चा कार्ड (माँ और शिशु संरक्षण कार्ड) की कोई छाया प्रतिलिपि संलग्न नहीं है। वह स्वीकार करती है कि कई बार माता–पिता अपने संतानों की आयु को कम या अधिक दर्ज करवा देते हैं।

13. इस न्यायालय ने **विनोद नट** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 14 व 15 में निम्नानुसार अवधारित किया:

"14. पी. युवाप्रकाश विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में पारित दिनांक 18.07.2023 के निर्णय अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 व 19 में अभिनिर्धारित किया है, जो निम्नानुसार है:–

"18. इस प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, 'एम' के विद्यालय के प्रधानाचार्य, सीडब्ल्यू–1, को न्यायालय द्वारा तलब किया गया और उन्होंने एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र (प्रदर्श C–1) प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र पंजी प्रस्तुत किया जिसमें 'एम' का नाम था। उन्होंने न्यायालयिक कथन किया कि उसने विद्यालय में एक वर्ष, अर्थात् 2009–10 में अध्ययन किया था और जन्म तिथि उस अभिलेख पत्र पर आधारित थी जो उस विद्यालय द्वारा दी गई थी जहाँ उसने 7 वीं कक्षा में अध्ययन किया था। चिन्नसोलीपलायम पंचायत विद्यालय के प्रधानाचार्य, ब.सा.–2 टीएमटी पूंगोथोई ने न्यायालय द्वारा तामील समन का जवाब दिया और न्यायालयिक कथन किया कि 'एम' उसके विद्यालय में दिनाँक 03.04.2002 से भर्ती हुई थी और उसकी जन्म तिथि 11.07.1997 दर्ज की गई थी। उसने स्वीकार किया कि यद्यपि जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित थी, किंतु यह सामान्य रूप से जन्म कुंडली के आधार पर दर्ज की जाती थी। उसने यह स्वीकार किया कि उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि जन्म तिथि से सुसंगत दस्तावेज किस आधार पर दर्ज किया गया था। इसी विवाद्यक, अर्थात् जन्म तिथि, पर श्री प्रकाशम, ब.सा.–3 ने पहले ही कथन किया था कि वर्ष 1997 से सुसंगत जन्म पंजी उनके कार्यालय के अभिलेख रूम में उपलब्ध नहीं था।

19. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विचारण के दौरान प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज़ ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(i) के "विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र" या "संबंधित परीक्षण बोर्ड से प्राप्त मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र" या किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के विवरण का उत्तर नहीं दिया। इन परिस्थितियों में, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(iii) के अनुसार, अभियोजन के लिए यह अनिवार्य था कि वह स्वीकार्य चिकित्सीय परीक्षण/जाँच के माध्यम से यह साबित करे कि अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी। अ.सा.–9, डॉ. थेनमोझी (अ.सा.–9,), जो वेल्लोर के जनरल हॉस्पिटल में मुख्य सिविल चिकित्सक और रेडियोलॉजिस्ट हैं, ने एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत की और न्यायालयिक कथन किया कि 'एम' की जाँच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के संदर्भ में, एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि "उक्त बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम होगी"। प्रति–परीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि 'एम' की आयु 19 वर्ष मानी जा सकती है। यद्यपि, उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि "जब विद्यालय अभिलेख से सटीक जन्म तिथि उपलब्ध है, तो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अनुमानित लगभग आयु निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।" इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, यह निष्कर्ष अनुचित और त्रुटिपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, अर्थात् एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रवेश पंजी के उद्धरण, धारा 94(2)(i) के अनिवार्य प्रावधान नहीं हैं; और न ही वे धारा 94(2)(ii) के अनुरूप हैं क्योंकि ब.सा.–1 ने स्पष्ट रूप से न्यायालयिक कथन किया था कि अभियोक्त्री 'एम' के जन्म से संबंधित कोई अभिलेख नहीं था। इन परिस्थितियों में, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अनुरूप एकमात्र साक्ष्य चिकित्सीय अस्थि परीक्षण था, जो अभियोक्त्री के कई एक्स–रे पर आधारित था, और जिसके आधार पर अ.सा.–9 ने अपना कथन किया था। उसने अभियोक्त्री के अस्थि परीक्षण, उनके विकास के स्तर के संबंध में विवरण समझाया और राय व्यक्त की कि वह 18 से 20 वर्ष के बीच थी; प्रति–परीक्षण में उसने कहा कि आयु 19 वर्ष हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि अस्थिकरण या अस्थि परीक्षण का परिणाम सबसे प्रामाणिक साक्ष्य था, जिसकी संपुष्टि परीक्षण करने वाले चिकित्सक, अ.सा.–9, द्वारा की गई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक (2011) 2 एससीसी 385** के प्रकरण में अपने निर्णय के कण्डिका 40 व 48 में निम्नानुसार अवधारित किया:

"40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी16) इंगित करता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। इसलिए, उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तारीख, अर्थात् 31 जुलाई, 1993 को वह 16 वर्ष से अधिक (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) की होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। यद्यपि, जिस साक्ष्य के आधार पर आयु दर्ज की गई थी,

उसकी अनुपस्थिति में ऐसे दस्तावेज़ की ग्राह्यता का बालिका की आयु साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा।

48. हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक लोक दस्तावेज़ को सिविल और दाण्डिक दोनों कार्यवाहियों में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोर्खी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा:

> "विद्यालय पंजी या अन्यथा दर्ज की गई किसी व्यक्ति की आयु का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, अर्थात्, प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह के पंजीयन हेतु; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहाँ तक कि एक सिविल मंच के समक्ष मुकदमा लड़ने के प्रयोजन से भी, उदाहरण के लिए, एक संरक्षक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहाँ इस आधार पर वाद दायर किया जाता है कि वादी अवयस्क होने के कारण उसमें उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार शून्य था क्योंकि वह अवयस्क था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, किसी वाद के पक्षकार की आयु अवधारित करने के प्रयोजन से एक न्यायालय को समान मानक लागू करना होगा। एक अभियुक्त के प्रकरण में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है जैसे कि अपहरण या बलात्संग के प्रकरण में, या इसी तरह के अपराध में जहाँ पीडिता या अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ सहमति दी हो, यदि विद्यालय द्वारा रखे गए पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री ने अपनी जन्म तिथि विद्यालय के अंकसूची के आधार पर बताई। अ.सा.–8 श्रीमती नंद रामटेके, प्रधानाध्यापिका, विद्यालय

के दाखिल–खारिज पंजी में की गई प्रविष्टि की कर्ता नहीं हैं। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कोई पुख्ता और विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि उसकी जन्म तिथि 11.11.2002 है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी।

15. अ.सा.–1 अभियोक्त्री ने कथन किया कि अपनी बड़ी माँ के घर एक सप्ताह रहने के बाद, उसने उनके पुत्र देवराज को बताया कि वह उलबा में अपनी बुआ के घर जाएगी, इसलिए उसने उसे मरोदा बस स्टैंड पर बस में बिठा दिया। उसने फिर पाटन बस स्टैंड पर एक बस पकड़ी और उलबा मोड़ पर बस से उतर गई, जहाँ दोनों अभियुक्त/अपीलार्थीगण एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। जब उसने उन्हें बताया कि वह अपनी बुआ के घर जा रही है, तो उन्होंने उसकी बुआ का नाम पूछा और बताया कि वे उसकी बुआ को जानते हैं और उसे उसके घर छोड़ देंगे। यद्यपि, वे उसे 3 बजे से मोटरसाइकिल पर घुमाते रहे और फिर लगभग 7 बजे उसे एक ईंट–भट्ठे के अंदर ले गए, जहाँ उसके हाथ–पैर बांधने के बाद बारी–बारी से उसके साथ बलात्संग किया। उसने कथन किया है कि वह वहाँ तीन घंटे तक रही और अभियुक्तों के जाने के बाद, किसी तरह खुद को खोला और पास के एक घर में गई जहाँ उसने अपनी बहन और जीजा को पूरी घटना के बारे में बताया। रात में अभियुक्तों की तलाश की गई और अगले दिन उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) पंजीबद्ध कराया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर 'ए' से 'ए' भाग तक हैं। वह पुलिस द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नजरी नक्शे (प्रदर्श पी/2) पर, अपनी चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सहमति (प्रदर्श पी/3) पर, अपने पैंटी की जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/4) पर, रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने कथन (प्रदर्श पी/5) पर, बाल कल्याण समिति के समक्ष दर्ज किए गए अपने कथन (प्रदर्श पी/6) पर, और पटवारी द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे (प्रदर्श पी/7) पर भी अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रति–परीक्षण के कण्डिका 15 में वह स्वीकार करती है कि ईंट–भट्ठे से उलबा जाते समय उसने अभियुक्त/अपीलार्थीगण के कृत्य के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। वह कण्डिका 16 में इस सुझाव का खंडन करती है कि जब अभियुक्त उसे ले जा रहे थे तब उसने शोर मचाने या उनकी मोटरसाइकिल से कूदने का कोई प्रयास नहीं किया। वह स्वेच्छापूर्वक कथन करती है कि उसे अभियुक्तों द्वारा बीच में बिठाया गया था। वह आगे स्वीकार करती है कि उलबा गाँव से राखी जाकर और वापस आते समय उसने अभियुक्तों के साथ रहते हुए शोर नहीं मचाया। वह स्वेच्छापूर्वक कथन करती है कि वह एक सुनसान जगह थी। कण्डिका 19 में वह स्वीकार करती है कि उसने परामर्श रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। वह अचानकपुर गाँव के विनोद मारकंडे को पिछले एक वर्ष से जानने की बात स्वीकार करती है, वे एक–दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन इस सुझाव का खंडन करती है कि वे विवाह करना चाहते थे। कण्डिका 20 में वह स्वीकार करती है कि जब इस प्रेम प्रसंग की जानकारी उसकी माँ को हुई, तो उसकी माँ के साथ विवाद हुआ था, इसलिए दिनाँक 26.05.2017 को सुबह 10 बजे वह बुआ कुंती के घर उलबा के लिए अपने घर से चली गई थी। कण्डिका 24 में वह स्वयं कथन करती है कि केवल एक

लड़के ने उसके साथ गलत काम किया और दूसरे ने नहीं। जब न्यायालय ने उस लड़के के बारे में पूछा जिसने उसके साथ गलत किया था, तो उसने अभियुक्त मिथलेश की ओर संकेत किया।

16. अ.सा.–2 हेमलाल यादव कथन करते हैं कि अभियोक्त्री ने उसे घटना के बारे में जानकारी दी और फिर एक पंचायत बुलाई गई जहाँ अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अ.सा.–3 गंगाराम सोनवानी कथन करते हैं कि गाँव के कोटवार द्वारा गाँव की बैठक के बारे में सूचित किए जाने पर, वह वहाँ गया जहाँ अभियोक्त्री उपस्थित थी। जब वह अभियोक्त्री से गाँव में उसके आने आदि के बारे में पूछताछ कर रहा था, उसी समय अभियुक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहाँ आए और उसे एक पीपल के पेड़ के पास खड़ा कर दिया। वह कथन करते हैं कि अभियोक्त्री ने कहा कि वह अभियुक्त व्यक्तियों और उनकी मोटरसाइकिल को पहचानती है और उन दोनों ने उसके साथ बलात्संग किया था।

17. अ.सा.–4 बोदलू राठी भी कथन करते हैं कि गाँव की बैठक में अभियोक्त्री ने प्रकट किया कि जब वह अपने फूफा के घर जा रही थी, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी मोटरसाइकिल पर उसे एक ईंट–भट्ठे में ले जाकर जान से मारने की धमकी पर उसके साथ बलात्संग किया। उसने गाँव की बैठक में अभियुक्त व्यक्तियों को अपराधकर्ता के रूप में पहचाना। वह जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/8 व पी/9 पर अपने हस्ताक्षर को 'ए' से 'ए' भाग तक स्वीकार करता है, जिसके द्वारा पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त व्यक्तियों के अंतःवस्त्र को जब्त किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अ.सा.–5 कन्हैया शर्मा कथन करते हैं कि गाँव की बैठक में अभियोक्त्री ने प्रकट किया कि यह अभियुक्त व्यक्ति ही थे जो लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आए और ईंट–भट्ठे में उसके साथ बलात्संग किया। अ.सा.–7 श्रीमती बेना बाई ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। अभियोजन द्वारा की गई प्रति–परीक्षण में उसने अपने पुलिस कथन सहित सभी सुझावों का खंडन किया।

19. अ.सा.–6 डॉ. सुमित्रा उराँव ने दिनाँक 27.05.2017 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया और उसके गाल पर कुछ खरोंच पाए। उसके निजी अंग का परीक्षण करने पर, उन्होंने जाँघ के भीतरी भाग, जघन क्षेत्र, लेबिया पर कोई चोट नहीं देखी; जघन बाल चिपके हुए थे और योनी पर सफेद स्राव मौजूद था। उन्होंने पाया कि हाइमन फटा हुआ था और योनि श्लेष्मा लाल थी। उन्होंने अभियोक्त्री की योनि स्लाइड तैयार की, उसे सील किया और रासायनिक विश्लेषण के लिए आरक्षक को सौंप दिया। उनकी राय में, 12–18 घंटे के भीतर हाल ही में हुए लैंगिक संभोग का साक्ष्य मौजूद है। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी/10 है जिस पर उनके हस्ताक्षर 'ए' से 'ए' भाग तक हैं।

20. एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/29) के अनुसार, वीर्य वस्तु ए और बी (अंतःवस्त्र और अभियोक्त्री की योनि स्लाइड) और वस्तु ई (अभियुक्त मिथलेश की स्लाइड) पर पाया गया था।

21. वर्तमान प्रकरण सामूहिक बलात्संग का है। यद्यपि, डीएनए परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 के अनुसार, जो पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 54 पर उपलब्ध है, प्रदर्श सी/309 अर्थात् अभियोक्त्री की योनि स्लाइड में कोई पुरुष डीएनए प्रोफाइल नहीं पाया गया था।

22. **छोटकऊ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 6 एससीसी 742** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका–80 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "80. यह कहने के बाद कि धारा 53 क अनिवार्य नहीं है, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के कण्डिका 54 में पाया कि अभियोजन द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफलता पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। कण्डिका 54 निम्नानुसार है: (राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2019) 12 एससीसी 460 एससीसी पृष्ठ 485):
>
> "54. अभियोजन के लिए डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेषतया जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से धारा 53 क और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क के प्रावधानों के दृष्टिगत। हम इस हद तक नहीं जा रहे हैं कि यह सुझाव दें कि यदि डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं होती है, तो अभियोजन का प्रकरण साबित नहीं हो सकता है, किंतु हम निश्चित रूप से इस विचार के हैं कि जहाँ डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे विचारण न्यायालय से छिपाया गया है, तो अभियोजन के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य,(2011) 7 एससीसी 130** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका–44 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "44. अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 53 क को, जो दिनाँक 23.06.2006 से प्रभावी है, प्रत्यर्थी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाए जाने के बाद, अभियोजन के लिए इस प्रकार के मामलों में डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध अपने प्रकरण को साबित करने में सुविधा हो। 2006 से पूर्व भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के बिना भी, अभियोजन अपने प्रकरण को त्रुटिहीन बनाने के लिए डीएनए परीक्षण या विश्लेषण तथा अपीलार्थी के वीर्य का अभियोक्त्री के अंतःवस्त्रों पर पाए गए वीर्य से मिलान की इस प्रक्रिया का आश्रय ले सकता था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें परिणामों का सामना करना होगा।"

24. हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कट्टावेल्लई उर्फ दिवाकर विरुद्ध तमिलनाडु राज्य** के प्रकरण में **दाण्डिक अपील क्रमांक 1672/2019**, 2025 लाइवलॉ(एससी) 703 में प्रकाशित, में भी निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "30. उपरोक्त विभिन्न अंतरालों पर विचार करने के उपरांत, तार्किक प्रश्न यह उठता है कि स्वैब कहाँ थे?; उन्हें विलंब से फोरेंसिक विश्लेषण के लिए क्यों भेजा गया?; क्या उन्हें ठीक से भंडारित किया गया था?; क्या थाना का मालखाना जहाँ उन्हें कुछ साक्षियों के अनुसार रखा गया था, पर्याप्त रूप से सुसज्जित था या नहीं; यदि उन्हें अस्पताल में रखा गया था, तो क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि स्टाफ के किसी अन्य सदस्य की उन तक पहुँच न हो; वे किसकी अभिरक्षा में थे?; यदि स्वैब क्षतिग्रस्त हो गए, तो महत्वपूर्ण साक्ष्य के नष्ट होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, आदि। इसी प्रकार के प्रश्न उत्तमपालयम के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 13 जून, 2011 को पारित आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त से लिए गए वीर्य के नमूने के संबंध में भी उठते हैं। अ.सा.–56 कथन करते है कि उक्त नमूने 16 जून, 2011 को एफएसएल, चेन्नई भेजे गए थे लेकिन बाद में वापस कर दिए गए। यह पुनः अस्पष्ट है कि 13 और 16 जून 2011 के बीच ऐसे नमूने कहाँ भंडारित किए गए थे; उनका प्रभारी कौन था और क्या उसने उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा था; उन्हें कैसे और किस स्थिति में भेजा गया; कब और क्यों उन्हें वापस किया गया—दुर्भाग्य से, इन सभी प्रश्नों का कोई उत्तर अभिलेख से नहीं मिल रहा है।
>
> 31. अनिल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य(2014) 4 एससीसी 69 में इस न्यायालय ने अवधारित किया था कि डीएनए प्रोफाइल का दाण्डिक विवेचना पर अद्भुत प्रभाव पड़ा है। एक डीएनए प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय होता है, किंतु यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। हम इस स्थिति में और जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रयोगशाला के बाहर गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रियाएँ भी समान रूप से मायने रखती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकत्र किए गए नमूनों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। हम कुछ दुःख के साथ दर्ज करते हैं कि ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें डीएनए साक्ष्य, मौजूद होने के बावजूद, इसलिए अस्वीकार करना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से संबंधित चिकित्सक द्वारा, जाँचकर्ताओं द्वारा संग्रह के दौरान और बाद में, लैब तक पारगमन में, लैब के अंदर और उनसे निकाले गए परिणाम, सर्वोत्तम संभव अभ्यासों के अनुरूप नहीं हैं जो यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नमूने शुद्ध, स्वच्छ और जैविक रूप से उपयुक्त स्थितियों में बने रहें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. प्रकाश निषाद विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2023) 16 एससीसी 357 6 वर्षीय बालिका के बलात्संग और हत्या से संबंधित प्रकरण था। वर्तमान प्रकरण के समान ही, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रकरण था। उसमें अपीलार्थी द्वारा किए प्रकटीकरण कथन के आधार पर, पुलिस को कुछ वस्त्र मिले और साथ ही अवयस्क अभियोक्त्री के योनि स्मीयर पर अपीलार्थी के वीर्य के निशान भी मिले, जिसके आधार पर उसे दोषसिद्ध करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय द्वारा डीएनए साक्ष्य को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि एफएसएल को नमूने भेजने में विलंब हुआ था, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह अवधारित किया गया कि विलंब के कारण, संदूषण की सहवर्ती संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था। संबंधित प्रयोगशालाओं को नमूने भेजने में शीघ्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

35. यह प्रकरण, संयोगवश, यदि दुर्भाग्यवश नहीं, तो उपरोक्त जैसा ही एक और है। डीएनए साक्ष्य की उपस्थिति के बावजूद, इसे इसलिए खारिज करना पड़ता है क्योंकि अपीलार्थी–दोषी की दोषसिद्धि के दौरान साक्ष्य के संग्रहण, सीलिंग, भंडारण और उपयोग में उचित तरीकों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। जैसा कि हमने देखा है, डीएनए को काफी हद तक भरोसेमंद माना गया है, भले ही यह साक्ष्य केवल प्रमाणिक मूल्य का हो, बशर्ते कि इसे ठीक से संभाला जाए। पिछले दशकों में, दुनिया भर के कई क्षेत्रों में डीएनए साक्ष्य की सहायता से कई प्रकरण अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। यह भी उतना ही सच है कि कई गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अंततः न्याय मिला है, इस तकनीक में प्रगति के कारण उन्हें निर्दोष घोषित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी प्रगति के साथ–साथ, हमारे पास अभी भी ऐसे प्रकरण हैं जहाँ साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद, इसे इसलिए अस्वीकार करना पड़ता है क्योंकि संबंधित व्यक्ति, चाहे वे चिकित्सक हों या जाँचकर्ता, ऐसे संवेदनशील साक्ष्य को संभालने में लापरवाह रहे हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. विचाराधीन प्रकरण में, अभियोक्त्री और अभियुक्त/अपीलार्थीगण के अंतःवस्त्रों को क्रमशः प्रदर्श पी/4, पी/8, पी/9 और अभियुक्त मिथलेश की वीर्य स्लाइड को प्रदर्श पी/17 के माध्यम से दिनाँक 27.05.2017 को जब्त किया गया था। अभियुक्त/अपीलार्थीगण के रक्त के नमूने दिनाँक 09.08.2017 को प्रदर्श पी/25 और पी/26 के माध्यम से जब्त किए गए थे, और अभियोक्त्री की योनि स्लाइड दिनाँक 27.05.2017 को तैयार एवं जब्त की गई थी। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थीगण के रक्त के नमूने और अभियोक्त्री की योनि स्लाइड दिनाँक 10.08.2017 को

एफएसएल में प्राप्त हुए थे। इस डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्श सी (309) अर्थात् अभियोक्त्री की योनि स्लाइड में पुरुष का डीएनए प्रोफाइल नहीं पाया गया था। यह विवादित नहीं है कि विवेचना के दौरान डीएनए परीक्षण किया गया था और रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी, लेकिन अभियोजन ने इस रिपोर्ट को प्रदर्शित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बचाव पक्ष ने भी डीएनए रिपोर्ट को प्रदर्शित करने की परवाह नहीं की। इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को विचार में रखते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियोजन द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग की गई थी और रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी जो अभियुक्त के बचाव की संभावना को बल देती है,किंतु इसे विचारण न्यायालय से छिपाया गया, इसलिए अभियोजन के लिए एक प्रतिकूल परिणाम सामने आएगा।

26. यह भी स्पष्ट है कि अभियोक्त्री ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्संग किया, जबकि प्रति–परीक्षण में वह कथन करती है कि केवल एक युवक ने बलात्संग किया और दूसरे ने नहीं, और जब न्यायालय ने उस युवक के बारे में पूछा जिसने उसके साथ बलात्संग किया था, तो उसने अभियुक्त मिथलेश की ओर इशारा किया। वह यह भी स्वीकार करती है कि विनोद मारकंडे के साथ अपने (अभियोक्त्री के) संबंध को लेकर अपनी माँ के साथ कुछ विवाद होने के कारण, उसने अपना घर छोड़ दिया था। वह यह भी स्वीकार करती है कि अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाए जाते समय और यहाँ तक कि जब वे उसे घुमा रहे थे, तब भी उसने कोई शोर नहीं मचाया। इस प्रकार, अभियोक्त्री के साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, घटना के दौरान और उसके बाद का उसका आचरण भी उसके साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। इतना ही नहीं, यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री की योनि स्लाइड पर वीर्य पाया गया था, किंतु डीएनए परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है और इसलिए, वे संदेह का लाभ पाकर सभी आरोपों से दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27.फलस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अभियुक्त/अपीलार्थीगण के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/34, 366/34, 342/34, 376 घ और अधिनियम 2012 की धारा 6 के अधीन दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा उन्हें उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त/अपीलार्थी राजेश चक्रधारी के जमानत पर होने की सूचना है, जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी मिथलेश कुमार जेल में है। बीएनएसएस, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, उनमें से प्रत्येक को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की एक प्रतिभूति जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील होगा,प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है,साथ ही यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष

अनुमति याचिका प्रस्तुत की जाती है या अनुमति प्रदान की जाती है, तो उक्त अपीलार्थीगण सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए। इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को भी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

सही/– **(रजनी दुबे)** **न्यायाधीश**	**सही/–** **(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)** **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur